



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

### **सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.12.2025**

**1.थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस टीम द्वारा फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफार्म में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम 80 लाख 60 हजार की धोखाधड़ी/ ठगी में संलिप्त एक साइबर अपराधी गिरफ्तार**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 24.12.2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस टीम द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 97/2025 के वादी से 80 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने में सम्मिलित एक साइबर अपराधी/खाताधारक आशीष पाल पुत्र रामप्रगट पाल को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** वादी मुकदमा ने दिनांक 01.09.2025 को मु0अ0सं0-97/2025 धारा 318(4), 319(2) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी मुकदमा से शेयर मार्केट में कम समय में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर फर्जी प्लेटफार्म पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख 60 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन विभिन्न खातों में कराकर धोखाधड़ी की गयी। विवेचना में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है।

**पूछताछ का विवरण--** अभियुक्त/खाताधारक आशीष के द्वारा बताया गया कि एक दिन मेरी फेसबुक पर बात एक व्यक्ति से हुई। वहा पर मुझे उसने अपना व्हाट्सअप नम्बर दिया जिससे बात करने पर उसने मुझे कहा कि हम तुम्हारे खाते में कुछ ट्रांजेक्शन करेगे तुम एक करेन्ट खाता खुलवाकर हमें दो जिसके बदले तुम्हें कमीशन मिलेगा। मैं पैसे के लालच में आ गया, खाता खोलने के लिये उनके द्वारा मुझे 50 हजार रुपये दिये जिससे मैंने बैंक आफ बडौदा में पाल एन्टरप्राइजेज के नाम पर खाता कुमारगंज ब्रांच में खुलवा लिया। इसके बाद उसके कहने पर मैं लखनऊ आया तथा मुझे एक होटल में ले गया जहाँ उसके साथ 5 से 6 दिन तक होटल में रहा था 6 दिन बाद उसने मुझे कहा कि तुम अब घर जाओ तुम्हारे फोन की अभी जरूरत है। जब हम बुलायेगे तब तुम आकर फोन तथा पैसे ले जाना। तो मैं वापस अपने घर खण्डासा आ गया। इस प्रकार खाताधारक अभियुक्त को खाते उपलब्ध करने के बदले 50 हजार रुपये मिले। मेरे खाते में आयी धनराशि को उस व्यक्ति ने अन्य खातों में ट्रांसफर किया था। विवेचना से प्राप्त तथ्यो/साक्ष्य से अभियुक्त के खाते में अभियोग से सम्बन्धित 07 लाख 30 हजार रुपये सहित अन्य शिकायतों से सम्बन्धित करीब 99 लाख रुपये का आना पाया गया है।

नोट- अभियुक्त के विरुद्ध 07 राज्य (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान) में कुल 16 शिकायतें अंकित हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आशीष पाल पुत्र रामप्रगट पाल निवासी ग्राम खण्डासा थाना खण्डासा जिला अयोध्या उ0प्र0 उम्र करीब 23 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण--

1. एक मोबाईल फोन

### नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. अपना आधार की आई0डी0, पेन कार्ड या अपना बैंक खाता किसी अंजान को न दे।
3. अंजान ब्यक्ति द्वारा शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट कर लाभ कमाने का लालच देने वाले साइबर अपराधियों की बात पर विश्वास न करें। सदैव प्रमाणित शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट करें।

2.थाना फेस 1 पुलिस द्वारा बन्द दुकानों से चोरी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल व घटना मे प्रयुक्त गाडी व अन्य सामान बरामदा

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 24.12.2025 को थाना फेस 1 पुलिस द्वारा गाड़ी से क्षेत्र में घूम फिर कर सर्दियों में कोहरे एवं अंधेरे का फायदा उठाकर दुकानों के शटर में लगे ताले तोड़कर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय अभियुक्तों 1.आरिफ उर्फ चंकी पुत्र मो0 मुतालिब 2.सोनू उर्फ जाकिर पुत्र अमर उर्फ उमर को हरौला सैक्टर 5 थाना क्षेत्र फेज -1 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की घटना मे प्रयुक्त गाडी के अंदर से दुकानो से चोरी हुआ सामान बरामद हुआ। अभियुक्तगण से बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** अभियुक्तगण मारुति स्विफ्ट टूर-एस रजि0 नं0 डीएल 1जेड सी 8594 से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घूम फिर कर सर्दियों में कोहरे एवं अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने पास रखे शटर व दुकानो के ताले खोलने के लिए अलग अलग प्रकार की मास्टर चाँबी का प्रयोग करते हैं न खुलने पर शटर को जैक द्वारा उठाकर/तोड़कर सामान चोरी करते हैं एवं चुराया हुआ सामान अभियुक्तगण अपनी गाडी मे छिपाकर रखते हैं जिसे अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर, सही दाम मिलने पर बेच देते हैं।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आरिफ उर्फ चंकी पुत्र मो० मुतालिब निवासी नसबंदी कलोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), हाल पता किराये का मकान कल्याण अखाड़े वाली गली मौजपुर थाना जाफराबाद जिला शाहदरा (दिल्ली) उम्र 31 वर्ष
2. सोनू उर्फ जाकिर पुत्र अमर उर्फ उमर निवासी कस्बा नूरपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर (उ०प्र०), हाल पता न्यू सीमापुरी थाना न्यू सीमापुरी जिला शाहदरा (दिल्ली), उम्र 32 वर्ष

## पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु०अ०स०-548/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेज-1 नोएडा

## अभियुक्त आरिफ उर्फ चंकी का अपराधिक इतिहास--

1. मु०अ०स० 752/2024 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना बुराडी दिल्ली
2. मु०अ०स० 1088/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना बुराडी दिल्ली
3. मु०अ०स० 1143/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना बुराडी दिल्ली
4. मु०अ०स० 1154/2024 धारा 305 बीएनएस थाना बुराडी दिल्ली
5. मु०अ०स० 1297/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना बुराडी दिल्ली
6. मु०अ०स०-548/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेज-1 नोएडा

## अभियुक्त सोनू उर्फ जाकिर का अपराधिक इतिहास--

1. मु०अ०स० 6886/2020 धारा 379 भादवि थाना गीता कालौनी दिल्ली
2. मु०अ०स० 3091/2021 धारा 379/411/34 भादवि थाना शाहदरा दिल्ली
3. मु०अ०स० 220/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना लिंक रोड गाजियाबाद
4. मु०अ०स० 037/2021 धारा 411/482 भादवि 25 आर्म्स एक्ट जगतपुरी दिल्ली
5. मु०अ०स० 2824/2021 धारा 379 भादवि थाना कृष्णा नगर दिल्ली
6. मु०अ०स० 1096/2014 धारा 379/411 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली
7. मु०अ०स० 468/2017 धारा 457/381/411 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली
8. मु०अ०स० 116/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुरी दिल्ली
9. मु०अ०स० 80007133/2024 धारा 380/457 भादवि ई थाना एमवी एक्ट थाना रेलवे दिल्ली
10. मु०अ०स०-548/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेज-1 नोएडा

## बरामदगी का विवरण--

1. 01 कार (घटना मे प्रयुक्त) रजि० नं० डीएल 1जेड सी 8594
2. 13 छोटी-बड़ी मास्टर चाबियाँ
3. 02 छोटे बड़े हथौड़े

4. 01 लोहे की बडी राड
5. 01 लोहे की छैनी
6. 01 कार जैक
7. 01 प्लायार्स (पिलास)
8. 06 बैटरी भिन्न भिन्न कम्पनी की
9. 220 मीटर लम्बाई की ऑप्टिकल फाइबर केबल
- 10.07 क्लच प्लेट
- 11.02 वाहन शौकर
- 12.01 वाहन सस्पेंशन राड
- 13.लोहे व सरिया के टुकड़े
- 1.5 किग्रा तांबा
- 14.02 अवैध चाकू